भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1859

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 /1 पौष, 1944 (शक)

बेरोजगारी से उत्पन्न हुई आकस्मिकताओं के लिए बीमा

1859. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:
श्री आर. गिरिराजन:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) बीमाकृत श्रमिकों को बेरोजगारी से उत्पन्न हुई आकस्मिकताओं की स्थिति में सहायता प्रदान करेगी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दिनांक 01.04.2005 से प्रारंभ की गई थी। यह योजना बीमाकृत व्यक्ति (आईपी) को अनैच्छिक रूप से निम्नलिखित के कारण बेरोजगार होने पर अधिकतम 24 महीने की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है:

i. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत यथापरिभाषित छंटनी।
ii. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत यथापरिभाषित कारखाने/प्रतिष्ठान को बंद करना।
iii. गैर-रोजगार चोट के कारण कम से कम 40% स्थायी नि:शक्तता।

योजना के तहत पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:

i. बीमाकृत व्यक्ति (आईपी) को न्यूनतम दो वर्षों के लिए सेवा में होना चाहिए।
ii. एक बीमाकृत व्यक्ति के लिए किसी अंशदान अवधि में 156 दिनों या उससे अधिक किसी भी दो लगातार अवधि में भुगतान किए गए/देय अंशदान को पूरे एक वर्ष के लिए सेवा के रूप में माना जाएगा। किसी अंशदान अवधि में 78 दिनों या उससे अधिक के लिए भुगतान किए गए अंशदान को आधे वर्ष के लिए सेवा के रूप में माना जाएगा।
iii. बीमाकृत व्यक्ति और उसका परिवार चिकित्सीय सेवा के लिए भी हकदार है।
iv. बीमाकृत व्यक्ति के पुन: रोजगार प्राप्त करने या अधिवर्षिता या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, के मामले में बेरोजगारी भत्ता बंद होगा।
v. बेरोजगारी भत्ते की दैनिक दर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पहले बारह महीनों के लिए आहरित औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत और अंतिम 12 महीनों के लिए 25 प्रतिशत है।

*****